लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांकः BRLPS/LSBA/Proj/12/17/240 दिनांक 27./06/2018

प्रेषक,

बालामुरुगन डी०, भा० प्र० से०
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–मिशन निदेशक।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, सीतामढ़ी।

विषयः **सी० एस० सी०- (Common Service Centre) के माध्यम से नवनिर्मित शौचालयों का जिओ टैगिंग (Geo-Tagging) कराये जाने के संबंध में।**

प्रसंगः **ग्रा० वि० वि०–15 स्वच्छता–108/2016/358561 दिनांक 8/03/2018 एवं ग्रा० वि० 15 स्वच्छता–108/2016/330162 दिनांक 25.09.2017**

महाशाय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंर्तगत लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। जिसके आलोक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना मद से प्रोत्साहन राशि का भुगतान DBT के माध्यम से लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जाता है। भुगतान के पूर्व सभी शौचालयों का जिओ टैगिंग भी किया जाना आवश्यक है।

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक ग्रा० वि०-15 स्वच्छता–108/2016/330162 दिनांक 25.09.2017 के आलोक में जिओ टैगिंग हेतु जिओ टैगर को प्रोत्साहन राशि देने हेतू निर्देश निर्गत है।

1. जिला जल एवं स्वच्छता समिति, सीतामढ़ी द्वारा अपेक्षित लक्ष्य की समयानुसार प्राप्ति हेतु एवं कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुये सी०एस०सी० (Common Service Centre) के माध्यम से भी शौचालयों के जिओ टैगिंग का कार्य कराने के अनुरोध को स्वीकृति दी जाती है।
2. सी०एस०सी० के माध्यम से किये गये जिओ टैगिंग को भी पूर्व से निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप ही प्रोत्साहन राशि देय होगी।

विश्वासभाजन

27/6/18

(बालामुरुगन डी०)

ज्ञापांकः BRLPS/LSBA/Proj/12/17/240 दिनांक 27./06/2018

प्रतिलिपिः सभी जिला समन्वयक एवं सभी जिला सलाहकार, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः निदेशक, जिला ग्रा० वि० अभि०–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को अनुमोदनार्थ प्रेषित।

27/6/18

(बालामुरुगन डी०)